न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—76 / 2020(जीसीएमएस नम्बर 2020 / 00085)

1. विक्रमसिंह पुत्र हरिनारायण, जाति गुर्जर, निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।

—–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।

—–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक **12.06.2024**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 325 / 41, रकबा 3 बीघा, किस्म चारागाह वाके रामा पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप चारागाह जैसा नही रहा है। इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है। उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 08.03.2016 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कब्जा शुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर 15.93 का पचास गुणा 797 /—रूपये शास्ती अरोपित की गई है एवं वास्ते कायमी वसूली बेदखल एवं फसल निलामी के आदेश पारित किये है तथा साथ ही अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुये 60 दिन की सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश पारित किये गये है। उन्होने आगे कथन किया है कि इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश की जिसे भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायलय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 26.08.2016 को पत्रावली तथ्यों के विपरित जाकर अपीलार्थी की अपील को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है, जो अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को ध्यान में नही रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किये जो विधि वि होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मौके की सही स्थिति का एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि कानूनन किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय पारित करने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति ट्रेसपासर है या नही परन्तु अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने इन सब बातों को ध्यान में

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नही रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जो निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.08.2016 व उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 325/41 रकबा 3 बीघा पर काश्त कर अतिक्रमण किया गया है जबकि कानूनन राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नही है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय चारागाह भूमि पर सम्वत् 2072 में खरीफ के समय भी अतिक्रमण किया गया था जिसे तत्समय बेदखल करने के पश्चात् पुनः चारागाह भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है जिससे वह पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नही होता हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।